Case Study-14

GDCE उत्तरीर्ण अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा सम्बन्ध में की गयी सतर्कता जाँच।

नीरज कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/चिकित्सा

****

एक सतर्कता जांच के क्रम मे पाया गया है कि दिनांक 23.12.2016 को RRC, NER, गोरखपुर द्वारा GDCE विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसमे अलग-अलग केटेगरी- I, II, III, IV हेतु आवेदन मांगे गए थे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 19.12.2017 से 21.12.2017 तक संपन्न हुए प्रलेख सत्यापन के बाद चिकित्सा मेमो जारी कर जी0 डी0 सी0 ई0- 2016 में दी गयी मेडिकल केटेगरी के अनुसार चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजा गया। पाया गया है कि एक कर्मचारी जिसका चयन लिखित परीक्षा में केटेगरी –IV (गुड्स गार्ड) हेतु किया गया था, को गुड्स गार्ड की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा हेतु एक मण्डल चिकित्सालय भेजा गया। जहां पर चिकित्सक द्वारा उक्त कर्मचारी की दिनांक 30.12.2017 को की गई चिकित्सा परीक्षा मे दूर दृष्टि तीक्ष्णता RE-6/12,LE-6/6 व निकट दृष्टि तीक्ष्णता N/6, N/6 घोषित की एवं उक्त के आधार पर इसे 'Unfit Aye/Two and Fit Aye/three and Below with DV Glass' घोषित किया।

जबकि इस कर्मचारी के वर्तमान पद जिस पर वह कार्यरत था; की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में दूर दृष्टि तीक्ष्णता RE 6/9 व LE 6/9 (Uncorrected) व निकट दृष्टि तीक्ष्णता N/6, N/6 के साथ उसे 'Fit for AYE/two and below' घोषित किया गया था। सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 23.02.19 को तीन नेत्र विशेषज्ञों के ओप्थाल्मिक बोर्ड से इस कर्मचारी की विशेष चिकित्सा परीक्षा करायी गयी, जिसमे इस कर्मचारी की दूर दृष्टि तीक्ष्णता (Uncorrected) RE 6/9 एवं LE 6/9 पायी गयी एवं उन्हें 'Fit for AYE/two' घोषित किया गया।

ज्ञात हो कि विशेष चिकित्सा परीक्षा मे इस कर्मचारी के नेत्रो मे कोई भी 'vision corrective treatment' संबंधी संकेत नही पाये गए थे। गुड्स गार्ड की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के पूर्व एवं बाद की विशेष चिकित्सा परीक्षा मे उक्त कर्मचारी की दूर दृष्टि तीक्ष्णता (Uncorrected) RE 6/9 एवं LE 6/9 पाया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि 'गुड्स गार्ड' की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया गया था। परिणामस्वरूप एक 'ए/टू' मेडिकल श्रेणी में 'योग्य' व्यक्ति को 'अयोग्य' घोषित हुआ तथा उसका 'गुड्स गार्ड' के पद पर चयन बाधित हुआ।

निवारक जाँच परिणाम :- अतः उक्त गलत निर्णय हेतु सतर्कता विभाग द्वारा इस कर्मचारी की 'गुड्स गार्ड' की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात, चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। मामला रेलवे बोर्ड को संदर्भित है।

निवारक जाँच का महत्व :- उक्त जांच से चिकित्सा परीक्षा के महत्व को समझा जा सकता है जहां एक ओर चिकित्सा परीक्षा मे 'योग्य' अभ्यर्थी / कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण निर्णय मे 'अयोग्य' किए जाने पर उसकी सफलता बाधित होती है वही दूसरी ओर चिकित्सा परीक्षा मे 'अयोग्य' अभ्यर्थी / कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण निर्णय मे 'योग्य' किए जाने पर रेल संरक्षा प्रभावित हो सकती है। अतः सतर्कता विभाग का यह मानना है कि रेल के अन्य कार्यो जैसे रेल संचालन आदि की भांति चिकित्सा परीक्षा भी रेल संरक्षा से जुड़ा अति महत्वपूर्ण अंग है। अतः इसमे भी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 मे दिये गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुये पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए।